(37)

PBR/अपील/देवास/आब०अ०/2017/6128

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–देवास

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता उज्जैन

3– जिला आबकारी अधिकारी जिला देवास

4– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

.... प्रत्यर्थीगण

श्री .... 15.12.17 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11.1.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15.12.17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/3158 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/अपील/देवास/आ0आ0/17/6128

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.1.2018	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 19–6–17 के विरूद्ध दिनांक 15–12–17 को पेश की गई है, जो प्रथमदृष्टया ही अवधि बाह्य है । विलम्ब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19–6–2017 की सूचना उन्हें 29–11–17 को दी गई थी, परन्तु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	